



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2020

कार्तिक 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1366/9-1-2020-54 सा-20

लखनऊ, 13 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-430

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 2 के परन्तुक की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए तथा आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में दिये जायेंगे।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला कासगंज में प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक 15 दिनों तक आयोजित होने वाले "मेला मार्गशीर्ष" को प्रान्तीय मेला घोषित करती हैं। उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध, नीचे विस्तृत रूप से वर्णित क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान प्रवर्तित होंगे :-

क्षेत्र का विवरण

उत्तर	हरि की पौड़ी श्री गंगाजी।
दक्षिण	कासगंज गेट।
पूर्व	रोडवेज बस स्टेण्ड।
पश्चिम	चौधरी रामप्रकाश यादव महाविद्यालय, बदरिया।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1366/IX-1-2020-54 SA-20, dated November 13, 2020 for the information of general public:

No. 1366/IX-1-2020-54 SA-20

Dated Lucknow, November 13, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Melas Act, 1938 (U. P. Act no. XVI of 1938) is hereby published for the information of general public and with a view to inviting objections and suggestions as required under the proviso to section 2 of the said Act.

Objections and suggestions, if any, shall be made in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Nagar Vikas Vibhag, Bapu Bhavan, Lucknow.

Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within thirty days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U. P. Act no. XVI of 1938), the Governor is pleased to declare Mela Margashirsha, held for 15 days from Ashtami of Krishna Paksha in month Margashirsha to Saptami of Shukla Paksha in month Pausha every year in district Kaasganj, as provincial Mela. All the provisions of the said Act shall come into operation during the said period in the area detailed below :-

Details of the Area

North	Hari Ki Paudi Shree Ganga Ji.
South	Kaasganj Gate.
East	Roadways Bus Stand.
West	Chaudhary Ramprakash Yadav Mahavidyalay, Badariya

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 516 राजपत्र-2020-(1080)-599+50=649 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।